बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 23 दिनांक 19-9-2018

सेवा में,

प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना

विषयः– श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रबंध जिला प्रबंधक खाद्य निगम पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को धमकी दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला इकाई पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन द्वारा सूचित किया गया है कि मोतिहारी–पिपरा कोठी पथ में बैरिया के पास अवैध बालू खनन को बढ़ावा देते हुए बालू मंडी का नियम के विरूद्ध व्यापार संचालित किया जा रहा हैं जिसमे प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रकों का आवागमन तथा लगभग 200–250 मीटर मे प्रायः हमेशा ही सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे कि दुर्घटना की दृष्टि से पिछले कई महीनों से एक ब्लैक स्पॉट के रूप में बन गया है।

दिनांक 22.08.2018 को विभागीय राजस्व संग्रहण हेतु चलाये गये वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में बैरिया बालू मंडी से दो परिचालित ओवरलोडेड वाहनों को जब्त कर थाना ले जाने के क्रम में मंडी मे कार्यरत मजदूरों तथा अन्य असामाजिक तत्वों की सहायता से बालू माफिया ने पहले विश्वास मे लेकर उनका वाहन रूकवाया फिर भीड़ को उत्तेजित कर अचानक से जानलेवा हमला करवा दिया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा न केवल दोनों जब्त ट्रकों को छुड़ा लिया गया बल्कि हिरासत मे लिए गए एक ड्राइवर को भी भगाने मे सफल रहे। साथ ही सरकारी वाहन पर रोड़ेबाजी के साथ–साथ पदाधिकारी एवं छापेमारी अभियान की टीम के साथ मारपीट की गई तथा जीप को पदाधिकारी सहित निकट के गहरे खाई में पलटने का प्रयास भी किया गया।

घटना स्थल पर असामाजिक तत्व एवं बहुत से लोग जीप के आगे खड़ा हो गए । ड्राईवर के प्रतिरोध के बावजूद सरकारी जीप की चाभी जबरन निकाल लिया गया एवं वाहन क्षतिग्रस्त करते हुए मोबाईल भी लूट लिया गया। इस घटना मे सभी को काफी चोटें आई तथा बहुत मुश्किल से जान बची।

उक्त घटना के तुरंत बाद नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। मुफस्सिल थाना द्वारा प्रयास के बावजूद भी आपेक्षित सहयोग नहीं किया गया । दिनांक 23.08.2018 सुबह नामजद अभियुक्त द्वारा मोबाईल सं0–9801759823 से जिला परिवहन पदाधिकारी को फोन पर पुनः जान से मारने की धमकी

दी गई की नामजद अभियुक्त बनाकर अच्छा नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नामजद अभियुक्त एन0एन0टी0सी0 ट्रांसपोर्ट कम्पनी के संचालक तथा अवैध बालू मंडी के मालिक भी है।

2. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा यह बताया गया कि "हर घर नल जल योजना" की सप्ताहिक नियमित जाँच में उन्हे भी यह धमकी दी गई की अपने भले के लिए सप्ताहिक नियमित जाँच अभियान बंद करे।

अतः उपरोक्त के संबंध में जिला इकाई पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन संलग्न करते हुए संघ का अनुरोध है कि वर्णित विषय की गहन जाँच कराने एवं दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करने का निदेश संबंधित अधिकारी को दी जाय। साथ ही घटना की गम्भीरता के मद्देनजर उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराया जाय।

19/9/18	19/9/18
(खुर्शीद अवनर सिद्दिकी)	**(सुशील कुमार)**
महासचिव	अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग को उपरोक्त के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु सादर समर्पित।

19/9

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं उपरोक्त कंडिका–2 के आलोक मे आवश्यक कार्यार्थ हेतु सादर समर्पित।

19/9

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं उपरोक्त कंडिका–1 के आलोक में आवश्यक कार्यार्थ हेतु सादर समर्पित।

19/9

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, जिला ईकाई, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/18

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

दिनांक 23.08.2018 को अपराह्न 5:30 बजे श्री मनोज कुमार रजक, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सेवा संघ (बासा) पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी जिला इकाई के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी में संधारित। इसमें जिले भर के प्रायः सभी बासा सदस्यों ने भाग लिया।

भूमिका – श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ऊपर कल दिनांक 22.08. 2018 को अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान बालू माफिया द्वारा किए गए जानलेवा हमला एवं उसके पश्चात् आसन्न स्थितियों के साथ–साथ कुछ अन्य परिस्थितिजन्य समस्याओं के कारण बासा सदस्यों की यह बैठक आहूत की गई।

वस्तु स्थिति– सर्व प्रथम अध्यक्ष, जिला इकाई बासा द्वारा इस बैठक को आकस्मिक रूप से बुलाने के औचित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए बताया गया कि सरकारी कर्त्तव्य निर्वहन में यदि आपराधिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला होता है तब सम्पूर्ण जिला प्रशासन के लिए इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। पूरे घटना क्रम को स्पष्ट करने के लिए श्री अग्रवाल से बैठक में अनुरोध किया गया।

श्री अग्रवाल द्वारा यह बताया गया कि मोतिहारी–पिपरा कोठी पथ में बैरिया के पास बालू के अवैध खनन को बढ़ावा देते हुए बालू मंडी का नियम विरूद्ध व्यापार संचालित किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रकों की आवाजाही होती है। वहॉ पर लगभग 200–250 मीटर में प्रायः सदैव हीं सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है, जो कि दुर्घटना की दृष्टि से पिछले कई महीनों से एक ब्लैक स्पॉट बन गया है।

कल दिनांक 22.08.2018 को विभागीय राजस्व संग्रहण हेतु चलाये गए वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में बैरिया बालू मंडी के पास से दो परिचालित आवरलोडेड वाहनों को जप्त किया गया जिसे थाना ले जाने के प्रयास में मंडी में कार्यरत मजदूरों तथा अन्य असामाजिक तत्वों की सहायता से बालू माफिया ने पहले विश्वास में लेकर उनका वाहन रूकवाया और फिर भीड़ को उकसाकर अचानक से जानलेवा हमला करवा दिया। भीड़ द्वारा न केवल दोनो जप्त ट्रकों को छुड़ा लिया गया बल्कि उनमें से हिरासत में लिए गए एक ड्राईवर को भी भगाने में सफल रहे। अचानक से वाहन पर रोड़ेबाजी होने लगी तथा पदाधिकारी एवं छापामारी अभियान के टीम के साथ मारपीट भी आरंभ हो गई। जीप को आदमी सहित निकट के गहरे खाई में उलटने का प्रयास किया गया। जीप के आगे बहुत लोग खड़ा हो गये तथा ड्राईवर के प्रतिरोध के बावजूद सरकारी जीप की चाभी जबरन निकाल लिया गया। वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मोबाईल लूट लिया गया। सभी को काफी चोटें आई। बहुत मुश्किल से जान बची।

घटना के तुरंत बाद नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। लाख प्रयास के बाद भी मुफस्सिल थाना द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा सका। आज सुबह नामजद अभियुक्त द्वारा मोबाईल नम्बर–9801759823 से मेरे फोन पर पुनः धमकी दी गई कि नाम देकर अच्छा नहीं किया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त NNTC ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के संचालक तथा अवैध बालू मंडी के मालिक है।

नेवानाधिव महोदय
9/9/18

विचार मंथन– उपस्थित सदस्यों द्वारा उपर्युक्त वस्तुस्थिति के साथ विभिन्न समाचार पत्रों एवं टी0 वी0 चैनलों के माध्यम से जो बात आई वह न केवल काफी भयावह, जानलेवा तथा बालू माफियाओं का नंगा नृत्य माना गया बल्कि इसे माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प तथा बिहार सरकार द्वारा पारित बालू नीति के एकदम विपरीत मानते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता भी महसूस की गई, ताकि माफिया एवं आपराधियों के तंत्र से सिविल अधिकारियों की जान को बचाया जा सके। इस संबंध में सर्वसम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए।

प्रस्ताव संख्या–01– श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी पर बालू माफिया द्वारा कराये गए जानलेवा हमले पर क्षोभ व्यक्त करता है तथा इनकी सहायता के लिए समय पर थानाध्यक्ष द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं करने के लिए खेद प्रकट करता है।

प्रस्ताव संख्या–02– बिहार प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई मोतिहारी, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से अनुरोधपूर्वक यह मांग करता है कि वे अपने स्तर से इस पर चिन्तन एवं पहल कर ठोस रणनीति बनायेंगें। इसके साथ हीं पदाधिकारियों के सम्मान एवं सुरक्षा भी सुनिश्चित कराने की पहल करेंगे।

प्रस्ताव संख्या–03– जिला इकाई बासा अपने राज्य स्तरीय केन्द्रीय संगठन से मांग करता है कि वे अपने स्तर से मुख्य सचिव एवं अन्य उच्चत्तर प्राधिकार के समक्ष यह मांग रखे कि जोखिम भरे कार्य में लगाये जाने वाले पदाधिकारियों को अंग रक्षक एक सरकारी नीति एवं नियमावली के तहत बिना किसी अपवाद के उपलब्ध करायी जाए।

स्ताव संख्या–04– "जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा यह बताया गया कि 'हर घर नल का जल' योजना की साप्ताहिक नियमित जॉच में उन्हें धमकी दी गई कि अपने भले के लिए अपना जॉच अभियान बंद करे।"

उपर्युक्त के संबंध में सम्यक विचारण करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि –

- 'सरकार के एक विशेष संकल्प द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों से पृथक कर दिया गया है तथा प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों हेतु क्रमशः ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा का सृजन किया गया। बाद में एक विभागीय पत्र के द्वारा वरीय उप समाहत्ताओं के अनुभवों से नवपदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को लाभन्वित करने एवं समय–समय पर मार्गदर्शन के उद्देश्य से प्रखंडों के मेंटर के रूप में नामित किए जाने का प्रावधान किया गया। वैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के अनुभवों एवं मार्गदर्शन से प्रखंड कार्यालयों की दक्षता का उत्क्रमण हो तो यह एक अच्छी बात है एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य की उन्नति एवं लोगों के हितार्थ सदा पूरी निष्ठा से कृतसंकल्पित है। परन्तु मार्गदर्शन देना, अनुभवों से लाभान्वित कराने का कदापि यं उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि प्रखंड कार्यालयों के सारे कार्यों का निर्वहन तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के सारे क्रियाकलापों के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाए। यह सरकार के संकल्प एवं संकल्प की भावना के भी अनुकूल नहीं है।
- वैसे भी सभी पदाधिकारियों के अपने मूल कार्यालयों के निर्धारित कार्य है, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जाते है। वैसी स्थिति में दूसरे कार्यालय के सारे क्रियाकलापों के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को जिम्मेवार बनाये जाने के बिन्दु पर विवेकपूर्ण विचारण की आवश्यकता है। संघ सर्व सम्मति से इसे संज्ञान में लिए जाने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध करता है।

अंत में सधन्यवाद इस बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

अध्यक्ष
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

ज्ञापांक .... / दिनांक .... ।

प्रतिलिपि :– जिला इकाई बासा, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

सचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

ज्ञापांक 1166 / दिनांक 28/2/18 ।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष / महासचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

सचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी